

संकल्प

चूंकि बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि डा० एस०पी० मंडल, जिला मलेरिया पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार, अवज्ञा एवं सारकार के आदेश के उल्लंघन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि-

उक्त डा० मंडल के विरुद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित शक्ति से दिनांकीय कार्यवाही चलायी जाय।

डा० मंडल असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक को इस संकल्प के अमलकरण के एक पक्ष के अन्तर्गत अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। दिनांकीय कार्यवाही के संचालन के लिए डा० जगदीश सिंह, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, प० चम्पारण, बेतिया द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नामित उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

डा० एस०पी० मंडल को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होंगे और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए उच्छुक्त हों।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ ही निर्गत किया जा रहा है।

आदेश आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संचालन पदाधिकारियों का आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

आज्ञांक

/ स्वा०, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी डा० जगदीश सिंह, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को इस अनुबंध के साथ अमरसरित की जाती है कि वे उपरोक्त इसकी जांच कर अधिमन तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

आज्ञांक

/ स्वा०, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति सिविल सर्जन, प० चम्पारण को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

कृपया अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी प्राधिकृत किया जाए।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

आज्ञांक


520(9)

/ स्वा०, पटना, दिनांक : 22/6/2015

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति डा० एस०पी० मंडल, जिला मलेरिया पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10 एवं 17 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को दिनांकीय कार्रवाई में प्रकाशना हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।